क्रमांक: 7185 /अका./का.प./2018 रायपुर, दिनांक : 27 /09/2018

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की इकचालीसवीं बैठक मंगलवार, दिनांक 18.09.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. बशीर हसन – सदस्य
2. डॉ. एच.के. पाठक – सदस्य
3. डॉ. श्रीकांत कमलाकांत पांडेय – सदस्य
4. डॉ. सोम कुमार चटर्जी – सदस्य
5. डॉ. चन्द्रशेखर चौबे – सदस्य
6. डॉ. नरेन्द्र पटनायक – सदस्य
7. श्री एस.के. चक्रवर्ती – सदस्य
8. डॉ. बी.एल. तिवारी – सदस्य
9. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता – सदस्य
10. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती – सदस्य
11. श्री श्रीचंद सुन्दरानी – सदस्य
12. श्री सत्यनारायण शर्मा – सदस्य

डॉ. संदीप वनसूत्रे, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 19.06.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 19.06.2018 के कार्यवृत्त के बिन्दु क्रमांक 5 पर लिये गए निर्णय में प्रतिवेदन के संक्षेपिका कार्यवाही के विवरण के संबंध में गठित समिति विलोपित किया जाए तथा सभी सदस्यों को विशेष अंकेक्षण के प्रतिवेदन की रिपोर्ट की प्रति, उपलब्ध कराई जाए साथ ही इसका सारांश वित्त शाखा से बनवाकर, प्रस्तुत की जाए तथा प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए, के साथ अन्य बिन्दुओं की सम्पुष्टि प्रदान की गई।**

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 19.06.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः **पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।**

3. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः **कार्यवृत्त के बिन्दु क्रमांक 8 को छोड़कर अन्य बिन्दुओं का अनुमोदन किया गया।**

<u>सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्तावः–</u>

4. विश्वविद्यालयीन अशैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (7वाँ वेतनमान) प्रदान किये जाने के संबंध में।

निर्णयः **छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के वित्त निर्देश 50/2018, पत्र क्र. 788/F-01002199/L-11-2/ब–4/चार दिनांक 05.09.2018 को अंगीकृत करते हुए विश्वविद्यालयीन अशैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (7वाँ वेतनमान) के प्रावधानानुसार दिनांक 01.01.2016 से 30.06.2018 तक काल्पनिक वेतन निर्धारण कर दिनांक 01.07.2018 से नगद भुगतान एवं छ.ग. शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 253/एफ–2013–04–00416/वि/नि/चार दिनांक 29.05.2018 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में स्वीकृत 05 प्रतिशत महंगाई भत्ता, जो दिनांक 01.07.2017 से देय है की स्वीकृति प्रदान की गई।**

5. डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त आचार्य, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला, पं.र.वि.वि. रायपुर के निलंबन अवधि को सेवाकाल मान्य किये जाने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णयः **डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त आचार्य, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला, पं.र.वि.वि. रायपुर के निलंबन अवधि को छोड़कर शेष अवधि के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्रदान किया जाए। निलंबन अवधि को सेवाकाल मान्य करने के संबंध में जानकारी आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।**

6. 18 से 20 अगस्त, 2018 को आयोजित 11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन मॉरिशस में डॉ. के.एल. वर्मा कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का भारत सरकार के सरकारी प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के रूप में सम्मिलित होने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः **सूचना ग्रहण की गई।**

7. डॉ. हेमंत शर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का सहायक लेखाधिकारी के पद पर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में प्रतिनियुक्ति पर जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः **सूचना ग्रहण की गई।**

8. डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, विधि अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के निलंबन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः **सूचना ग्रहण की गई।**

<u>मनोविज्ञान अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्तावः–</u>

9. छ.ग. शासन समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 3–37/2018/26 दिनांक 09.05.2018 के संदर्भ में विश्वविद्यालय परिसर में दिव्यांगता अध्ययन केन्द्र खोलने के संबंध में।

निर्णयः **विश्वविद्यालय परिसर में दिव्यांगता अध्ययन केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

भूगोल अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्तावः–

10. भूगोल अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000/– से वृद्धि कर रु. 20,000/– किये जाने की अनुमति प्रदान करना।

निर्णयः **इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000/– से वृद्धि कर रु. 20,000/– किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

भू–विज्ञान एवं जलसंसाधन प्रबंधन अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्तावः–

11. भू–विज्ञान एवं जलसंसाधन प्रबंधन अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट राशि रु. 5,000/– में वृद्धि कर रु. 10,000/– किये जाने की अनुमति प्रदान करना।

निर्णयः **इम्प्रेस्ट राशि रु. 5,000/– में वृद्धि कर रु. 10,000/– किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

रसायन अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्तावः–

12. रसायन अध्ययनशाला SERB Project के तहत क्रय किये जाने के लिये रु. 20,00,000/– स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **स्वीकृति प्रदान की गई। विधिवत नियमानुसार क्रय की कार्यवाही की जाए।**

अध्यापक शिक्षा संस्थान विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

13. अध्यापक शिक्षा संस्थान के नवनिर्मित भवन के Multipurpose Hall का नाम 'डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉल' तथा सेमीनार हॉल का नामकरण 'सावित्री बाई फूले' किये जाने हेतु स्टाफ काउंसिल की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः **प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

यांत्रिकी विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

14. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 27.06.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः **कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव :–

15. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं अध्ययनशालाओं के लिये कम्प्यूटरर्स, प्रिंटर्स एवं यू.पी. एस. क्रय किये जाने हेतु रु. 35,00,000/– (पैंतीस लाख रुपए) स्वीकृत करने के संबंध में।

निर्णयः **जेम के माध्यम से या नियमानुसार यथायोग्य क्रय किये जाने हेतु रु. 35,00,000/– (पैंतीस लाख रुपए) स्वीकृति प्रदान की गई।**

गोपनीय मुद्रण से संबंधित प्रस्तावः–

16. गोपनीय मुद्रण कार्य के भुगतान के संबंध में।

निर्णयः **वर्ष 2018 की परीक्षा का गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अधिकृत फर्म को रु. 11,89,188.00 (ग्यारह लाख नव्वासी हजार एक सौ अठ्यासी रुपये मात्र) के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से संबंधित प्रस्ताव :–

17. 24 ई–शोध पत्रिकाओं के क्रय के संबंध में विभागीय क्रय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः **अनुमोदन किया गया। अनुमानित लागत रु. 2300769.27 (तेइस लाख सात सौ उनहत्तर रुपए सत्ताइस पैसे मात्र) का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव :–

18. सत्र 2018–19 के छात्रवृत्ति हेतु तीन सदस्यीय चयन समिति का गठन करना।

निर्णयः **सत्र 2018–19 के छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु संकायाध्यक्षों की तीन सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है, जो निम्नानुसार है –**

(1) डॉ. एच.के. पाठक, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय

(2) डॉ. बशीर हसन, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय

(3) डॉ. वासु वर्मा, संकायाध्यक्ष, गृह विज्ञान संकाय

19. EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR IMPLEMENTATION OF UNIVERSITY FINANCE & HR MANAGEMENT WITH SOFTWARE SOLUTION & HARDWARES के स्वीकृति के संबंध में।

निर्णयः **लागत राशि रु. 19.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। क्रय की कार्यवाही विधिवत नियमानुसार (Gem) जेम के माध्यम से की जाए।**

20. विश्वविद्यालय में कार्यरत् श्रमिकों के पारिश्रमिक पर होने वाले अतिरिक्त व्यय रुपये 14 (चौदह) लाख की स्वीकृति बाबत्।

निर्णयः **स्वीकृति प्रदान की गई।**

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव :–

21. संत गुरु घासीदास शास. महाविद्यालय, कुरूद को हिन्दी विषय में शोध केन्द्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **अस्थाई रूप से दो वर्ष के लिये शोध केन्द्र की मान्यता दी जाती है, तत्पश्चात् पुनः निरीक्षण कराया जाए।**

22. निम्नांकित महाविद्यालयों में परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य पद पर नियुक्ति के संबंध में समिति की अनुशंसा (बंद लिफाफा) पर विचार करना।

(i) विकास शिक्षा महाविद्यालय, डुमरतराई, रायपुर

(ii) कोलम्बिया कालेज, ग्राम–भुरकोनी, टेकारी, विधान सभा के पास, रायपुर

निर्णयः **परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य पद पर नियुक्ति के संबंध में चयन समिति की अनुशंसा का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया–**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	प्राचार्य का नाम
(i)	**विकास शिक्षा महाविद्यालय, डुमरतराई, रायपुर**	**डॉ. सुरेश**
(ii)	**कोलम्बिया कालेज, ग्राम–भुरकोनी, टेकारी, विधान सभा के पास, रायपुर**	**डॉ. अरूण कुमार दुबे**

पूरक विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों से प्राप्त सम्बद्धता शुल्क पर जी.एस.टी. लगाये जाने के संबंध में।**

निर्णयः **वर्ष 2012–13 से विश्वविद्यालय को विभिन्न महाविद्यालयों से प्राप्त संबद्धता शुल्क पर एवं क्रियान्वयन के पश्चात् की तिथि से जी.एस.टी. लगाए जाने हेतु विश्वविद्यालय को पत्र क्र. F.No. IV (6) MIS.CORR/RUR/01/2016/1540, DEC 04, 2017 द्वारा संबद्धता शुल्क की जानकारी मांगी गई थी। जानकारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के वस्तु एवं सेवाकर आसूचना महानिदेशालय, रायपुर जोनल इकाई, रियो मॉल चौथी मंजिल लालपुर, धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.) को भेजे जाने के उपरान्त इस कार्यालय द्वारा जारी सम्मंस क्र. 114/2017, दिनांक 11.09.2018 जिसे माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष रखा गया। कार्यपरिषद् द्वारा सम्मंस के अनुपालन में जवाब रिकार्ड कराये जाने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया।**

2. पुस्तकों के क्रय हेतु राशि रु. 13,00,000.00 (तेरह लाख) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

निर्णयः **वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।**

3. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.09.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः **कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. भारत शासन के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की पहल पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के तत्वावधान में आयोजित 'इंस्पायर' कैम्प (7 से 11 अगस्त 2018) में हुए व्यय 15,00,000=00 (पन्द्रह लाख रुपये) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **'इंस्पायर' कैम्प (7 से 11 अगस्त 2018) में हुए व्यय 15,00,000=00 (पन्द्रह लाख रुपये) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई । रु. 13.00 लाख DST से अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ है। शेष आधिक्य व्यय रु. 2.00 (दो) लाख की सीमा में व्यय, विश्वविद्यालय द्वारा वहन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

2. भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के पत्र क्र. AIU/UNIFESTs/2018/July 31, 2018 के द्वारा 12th South Asian Universities Youth Festival (SAUFEST) 2018-19 आयोजन के संबंध में लिए गए निर्णय दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय युवा महोत्सव, 10 दक्षिण–एशियाई देशों के विश्वविद्यालयों के प्रतिभागियों का अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में दिनांक 22 से 26 फरवरी, 2019 को आयोजित किया जाना है, की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः **सूचना ग्रहण की गई तथा इस आयोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।**

3. दानदाता डॉ. अजित आनंद डेग्वेकर के द्वारा आचार्य डेग्वेकर (स्व. मनोहर दामोदर डेग्वेकर) के सम्मान में स्वर्ण पदक "ACHARYA DEGWEKAR (LATE. MANOHAR DAMODAR DEGWEKAR) MEMORIAL GOLD MEDAL" के नाम से *M.Sc. Physics (Astronomy and Astrophysics)* विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र एवं छात्रा को पृथक–पृथक यह स्वर्ण पदक आगामी अलंकरण समारोह में प्रदान किये जाने हेतु विनियम क्रमांक 178 एवं 179 का अनुमोदन करना। (विश्वविद्यालय कोष में राशि रु. 60,000.00 + 60,000.00 रसीद क्र. 4239/11 एवं 4239/12 दिनांक 17.09.2018 जमा किया गया है।)

निर्णयः **स्वर्ण पदक प्रदान करने की स्वीकृति दी गई एवं विनियम क्रमांक 178 एवं 179 का अनुमोदन किया गया।**

4. दानदाता श्री सुधीर कटियार के द्वारा स्व. प्रोफेसर चन्द्रप्रकाश कटियार की स्मृति में स्वर्ण पदक "LATE PROFESSOR CHANDRA PRAKASH KATIYAR" MEMORIAL GOLD MEDAL के नाम से *B.Com.* में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को यह स्वर्ण पदक आगामी अलंकरण समारोह से प्रदान किये जाने हेतु विनियम क्रमांक 180 का अनुमोदन करना। (विश्वविद्यालय कोष में राशि रु. 60,000.00 रसीद क्र. 4239/13 दिनांक 17.09.2018 जमा किया गया है।)

निर्णयः **स्वर्ण पदक प्रदान करने की स्वीकृति दी गई एवं विनियम क्रमांक 180 का अनुमोदन किया गया।**

5. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अध्ययनशालाओं/कार्यालयों के इम्प्रेस्ट की राशि 5,000/- से वृद्धि कर 10,000/- किये जाने पर विचार करना :-

1. व्ही.सी. हाऊस
2. नामांकन विभाग
3. दर्शनशास्त्र अध्ययनशाला
4. सांख्यिकी अध्ययनशाला
5. ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला
6. महिला अध्ययन केंद्र

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

6. कुलपति सचिवालय के इम्प्रेस्ट की राशि रु. 10,000/- से बढ़ाकर 20,000/- किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

7. उपाधि विभाग की इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000/- से बढ़ाकर 15,000/- किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांकः 7186/अका./का.प./2018 रायपुर, दिनांक : 27/09/2018

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)